फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर, शाहपुरा भंवर बनाम बिरदीचन्द

केस संख्या 109/2019 धारा 53 व 88 भू.रा.अ.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	22/7/20 P.D के अनुसार नाम [illegible] किए जावें [illegible]	वकील उभय पक्ष उप.। बरखास्तगी रिपोर्ट वकील उभय पक्ष को सुनाया गया। बरखास्तगी रिपोर्ट के अनुसार वकील उभय पक्ष ने दावा अन्तिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 10/8/20 को पेश हो। सहायक कलेक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.
	10/8/20	वकील उभय पक्ष उप.। दावा बरखास्तगी रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकॉर्ड में दाखिल हो। सहायक कलेक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :— 109/2019

शीर्षक

1. भंवर
2. गोपाल
3. लक्ष्मण
4. जगदीश
5. प्रहलाद

(1 से 5) पुत्रान जीता उर्फ जीताराम

6. नारायणी देवी पत्नी जीता

समस्त जाति गुर्जर निवासी पीपलोद नारायण तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज.।

वादीगण

बनाम

1. गिरधारी
2. मूलचन्द
3. उमराव
4. सायर
5. भीवाराम
6. धर्मवीर

(1 से 6) पुत्रान गंगू

7. नाथी देवी पत्नी गंगू

(1 से 7) समस्त जाति गुर्जर निवासी पीपलोद नारायण तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

8. भंवरी पत्नी बालूराम पुत्री गंगू नि. टोडी मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
9. कमली देवी पत्नी अर्जुनलाल पुत्री गंगू नि. किशोरपुरा तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
10. धोली पत्नी छाजूराम पुत्री गंगू नि. गोविन्दपुरा धाबाई तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
11. मनभरी पत्नी गिरधारी नि. टोडी मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
12. रूड़ा जन्म दाता पिता बींजाराम भाई पुत्र हरदेव जाति गुर्जर नि. पीपलोद नारायण तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज.।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

14. श्रवणी पत्नी बीरबल पुत्री जीता उर्फ जीताराम नि. टोडी मनोहरपुर तह. शाहपुरा
15. प्रेम पत्नी शंकरलाल पुत्री जीता उर्फ जीताराम नि. टोडी मनोहरपुर तह. शाहपुरा
16. विमला पत्नी मंगलचन्द पुत्री जीता उर्फ जीताराम
17. अणची पत्नी फूलचन्द पुत्री जीता उर्फ जीताराम
18. मानकी पत्नी मुरलीधर पुत्री जीता उर्फ जीताराम

जातियान गुर्जर नि0 कालवाड कला एण्ड खुर्द कांट तहसील आमेर जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

दावा बाबत बंटवारा दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक : 10-8-2020

वादीगण की ओर दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि हाल खाता सं0 15 के हाल
खसरा नम्बर 271/0.55, 274/0.08, 280/0.31, 283/0.48, 284/0.20, 287/0.15, 288/0.
19, 293/0.13, 294/0.17, 301/0.32, 306/0.31, 307/0.11 किता 12 रकबा 3.00 है0 व
हाल खाता सं0 98 के खसरा नम्बर 270/0.48, 273/0.09, 277/0.22, 279/0.39, 281/0.
30, 282/0.45, 285/0.12, 286/0.27, 291/0.21, 295/0.16, 305/0.40, 309/0.13 किता
12 रकबा 3.22 है0 व खाता सं. 31 के खसरा नम्बर 272/0.17, 275/0.30, 278/0.16,
289/0.18, 290/0.16, 292/0.18, 296/0.54, 297/0.30, 302/0.22, 303/0.08, 304/0.
34, 308/0.12 किता 12 रकबा 2.75 है0 तथा हाल खाता सं. 32 के हाल खसरा नंबर 204/7.
91, 276/0.01, 298/0.03, 299/0.02, 300/0.15, 310/0.01, 311/0.75 किता 07 रकबा
8.88 है0 कुल किता 43 कुल रकबा 17.85 है0 वाके ग्राम पीपलोद नारायण तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसके बराबर हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार लगान राज जमा कराते आ रहे है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खाता सं0 15, 31, 32 की जमाबन्दी में अंकित वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 11 के पुर्वज खातेदार गंगू व जीता का देहान्त हो गया है जिसमें जीता के वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 15 लगा0 19 व गंगू के वारिसान प्रतिवादीगण सं01 लगा0 11 है जिन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

वादी व प्रतिवादीगण सभी एक ही खानदान परिवार के व्यक्ति है। तथा वादीगण के पूर्वज पूरा के 2 पुत्र चन्द्रा व सेडू थे जिसमें चन्द्रा का हरदेव व सेडू का बींजा 2 पुत्र हुए थे, हरदेव ना औलाद फौत हुए थे जिसके हिस्से की भूमि वादीगण के दादा के तीनों पुत्रो जीता, गंगू व रूडा भई के पुत्रों के खाता खुला तथा बींजा का भी उसके तीनों पुत्रो से खाता खुला हुआ है जो किवादीगण के पुर्वज सीधे साधेग अनपढ व्यक्ति थे जिनको कानूनी कायदे व रिकार्ड की जानकारी नहीं होने से हरदेव की भूमि का खाता खोलते समय भाई के पुत्र न लिखते हुए पुत्र ही वल्दियत अंकित कर दी गई थी, जबकि सम्पूर्ण भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर बराबर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। उक्त वर्णित खातेदारी भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी हरदेव व बीजा से प्राप्त खातेदारी उतराधिकार में प्राप्त भूमि है । जिसमें वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 11 का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी सं. 13 का हिस्सा 1/3 के बराबर बराबर हिस्सा की भूमि है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण सामलाती रूप में अपने अपने हिस्सा की भूमि पर अपने मकानात, पशुधर, चाराघर, होदी, बोरिंग आदि का निर्माण कर उपयोग उपभोग काबिज काश्त है एवं इसी अनुसार खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। उक्त' भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 12 अपने अपने हिस्से अनुसार सामलाती रूप से काबिज रहकर काश्त उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण ने बिना किसी अधिकार के राज कर्मचारियों से मिलकर खाता सं0 98 की भूमि प्रतिवादी सं. 12 के नाम तथा खाता सं. 31 की भूमि वादीगण व तरतीबी

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम तथा खाता सं. 15 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 लगा. 11 के पूर्वज के गलत बिना किसी अधिकार के करवा ली जबकि मौके पर आज तक सम्पूर्ण खातेदारान उनके वारिसान सम्पूर्ण भूमि पर अपने अपने हिस्सा पर सामलाती रूप से काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। जिसमें तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 14 लगा. 18 ने अपने हिस्सा की भूमि को वादीगण के हक में त्याग कर रखा है जिस पर वादीगण ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है । वादीगण व प्रतिवादीगण का परिवार बढ जाने से सामिल में खातेदारी होने के कारण भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी के नाम दुरूस्ती व बंटवारा करवाने के लिए कहा तो पहले तो हां करते रहे बाद में टालमटोल करते रहे लेकिन अब अर्सा तीस दिन पूर्व प्रतिवादीगण ने वादीगण कि हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में भी मजाहमत बेजा पैदा करने पर उतारू हो गये तथा वादीगण को परसों एलानियां धमकी दी है आयन्दा वादीगण को काश्त नही करने देगे तथा भूमि का वादीगण के नाम खाता नही खुलने देंगे तथा किसी प्रकार का कोई कानूनी बंटवारा नही करायेगे। जो वादीगण को भूमि से जबरन नाजायज तरीके से बेदखल करेगे वादीगण को जो करना हो कर लो। इस कारण वादी ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया उक्त आराजी का बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा विधिक बंटवारा कराया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक को कब्जा अलग अलग हिस्सा 1/3–1/3 भाग सम्भलाया व भूमि का अलग अलग नम्बर कायम कराया जावें ।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 12 की ओर श्री हजारीलाल मीणा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0 14 लगा0 18 की ओर से श्री रामनिवास गुर्जर अधिवक्ता का वकालतनामा पेश किया तथा वरवक्त सुनवाई दिनांक 23.7.2020 को दावा स्वीकार कर प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया गया । दिनांक 23.7.20 को प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेश जारी किये गये । तहसीलदार शाहपुरा से दिनांक 18.3.2020 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने का रिकार्ड पर लिया जाकर पक्षकारान को इससे अवगत कराया गया । वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि कुर्रेजात रिपोर्ट में वादिया सं0 6 का नाम व तरतीबी प्रतिवादी सं0 14 का नाम सहवन से छूट गया है जिसे शामिल किया जाकर अन्तिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया गया । वकील प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादीगण भी कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमत होने तथा पक्षकारान के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमति से बनाये जाने से दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के मुताबिक अन्तिम डिकी किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । वादिया सं0 6 तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0 14 का नाम कुर्रेजात रिपोर्ट में लालस्याही से अंकन करते हुए दावा मुताबिक सहमति से अन्तिम डिकी किया जाकर आराजी खाता संख्या 15, 98, 31, व 32 मे दर्ज खसरा नम्बरान का खातेदारों के मध्य बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खातेदार निम्नानुसार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे अनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा नहीं करें ।

कार्यालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

1. गिरधारी ,मूलचन्द, उमराव, सायरमल, भीमसिंह, धर्मवीर पि0 गंगूराम, नाथी देवी पत्नि गंगूराम भंवरीदेवी कमली देवी, धोली देवी, मनभरीदेवी पुत्रियान गंगूराम जाति गुर्जर के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 0.55 है0, 274 रकबा 0.08 है0 , 280रकबा 0.31 है0, 283 रकबा 0.48 है0 284 रकबा 0.20 है0, 287 रकबा 0.15 है0, 288 रकबा 0.19 है0, 293 रकबा 0.13 है0, 294 रकबा 0.17 है0, 301 रकबा 0'.32 है0, 306 रकबा 0.31 है0, व 307 रकबा 0.11 है0 कुल किता 12 रकबा 3.00 है0 भूमि रहेगी ।

2. भंवरलाल गोपालराम लक्ष्मणराम जगदीशप्रसाद, प्रहलादसहाय पुत्रान जीताराम, श्रवणी देवी, प्रेमदेवी विमला देवी, आंचीदेवी, मानकी पुत्रियान जीताराम, नारायणी पत्नि जीताराम जाति गुर्जर के हिस्से में ख0न्रं0 272 रकबा 0.17 है0, 275 रकबा 0.30 है0, 278 रकबा 0.16 है0, 289 रकबा 0.18 है0, 290 रकबा 0.16 है0, 292 रकबा 0.18 है0, 296 रकबा 0.54है0, 297 रकबा 0.30है0, 302 रकबा 0.22है0, 303 रकबा 0.08है, 304 रकबा 0.34है0, 308 रकबा 0.12 है0, कुल किता रकबा 2.75 है0 भूमि रहेगी ।

3. रूडा पुत्र हरदेव जाति गुर्जर सा0 देह के हिस्से में आराजी ख0नं0 270 रकबा 0.48 है0, 273 रकबा 0.09है0, 277 रकबा 0.22है0, 279 रकबा 0.39 है0, 281 रकबा 0.30 है0, 282 रकबा 0. 45 है0, 285 रकबा'0.12 है0, 286 रकबा 0.27 है0, 291 रकबा 0.21 है0, 295 रकबा 0.16 है0, 305 रकबा 0.40 है0 309 रकबा 0.13 है0 कुल किता 12 रकबा 3.22 है0 भूमि रहेगी ।

4. गिरधारी ,मूलचन्द, उमराव, सायरमल, भीमसिंह, धर्मवीर पि0 गंगूराम, नाथी देवी पत्नि गंगूराम भंवरीदेवी कमली देवी, धोली देवी, मनभरीदेवी पुत्रियान गंगूराम हि0 जाति गुर्जर 1/3, भंवरलाल गोपालराम लक्ष्मणराम जगदीशप्रसाद, प्रहलादसहाय पुत्रान जीताराम, श्रवणी देवी, प्रेमदेवी विमला देवी, आंचीदेवी, मानकी पुत्रियान जीताराम, नारायणी पत्नि जीताराम जाति गुर्जर हिस्सा 1/3 रहिन एसबीआई बैंक शाखा शाहपुरा हिस्सा 1/3, रूडाराम पुत्र हरदेव रहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा हि0 1/3 मुर्तहीन जाति गुर्जर सा0 देह के हिस्से में ख0नं0 204 रकबा 7.91 है0, 276 रकबा 0.01है0, 298 रकबा 0.03है0, 299 रकबा 0.02है0, 300 रकबा 0.15 है0, 310 रकबा 0.01है0, 311 रकबा 0.75है0 कुल किता 7 रकबा 8.88 है0 भूमि रहेगी । बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का जुज रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 10-8-2020 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :– 109/2019

शीर्षक

1. भंवर
2. गोपाल
3. लक्ष्मण
4. जगदीश
5. प्रहलाद

} पुत्रान जीता उर्फ जीताराम

6. नारायणी देवी पत्नी जीता

समस्त जाति गुर्जर निवासी पीपलोद नारायण तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज.।

वादीगण

बनाम

1. गिरधारी
2. मूलचन्द
3. उमराव
4. सायर
5. भीवाराम
6. धर्मवीर

} पुत्रान गंगू

7. नाथी देवी पत्नी गंगू

} समस्त जाति गुर्जर निवासी पीपलोद नारायण तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

8. भंवरी पत्नी बालूराम पुत्री गंगू नि. टोडी मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
9. कमली देवी पत्नी अर्जुनलाल पुत्री गंगू नि. किशोरपुरा तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
10. धोली पत्नी छाजूराम पुत्री गंगू नि. गोविन्दपुरा धाबाई तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
11. मनभरी पत्नी गिरधारी नि. टोडी मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
12. रूड़ा जन्म दाता पिता बीजाराम भाई पुत्र हरदेव जाति गुर्जर नि. पीपलोद नारायण तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज.।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

14. श्रवणी पत्नी बीरबल पुत्री जीता उर्फ जीताराम नि. टोडी मनोहरपुर तह. शाहपुरा
15. प्रेम पत्नी शंकरलाल पुत्री जीता उर्फ जीताराम नि. टोडी मनोहरपुर तह. शाहपुरा
16. विमला पत्नी मंगलचन्द पुत्री जीता उर्फ जीताराम
17. अणची पत्नी फूलचन्द पुत्री जीता उर्फ जीताराम
18. मानकी पत्नी मुरलीधर पुत्री जीता उर्फ जीताराम

जातियान गुर्जर नि0 कालवाड कला एण्ड खुर्द कांट तहसील आमेर जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

आदेश दिनांक : 10.06.2020

अतः हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वादिया सं0 6 तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0 14 का नाम कुर्रेजात रिपोर्ट में लालस्याही से अंकन करते हुए दावा मुताबिक सहमति से अन्तिम डिकी किया जाकर आराजी खाता संख्या 15, 98, 31, व 32 मे दर्ज खसरा नम्बरान का खातेदारों के मध्य बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खातेदार निम्नानुसार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे अनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा नहीं करें ।

1. गिरधारी ,मूलचन्द, उमराव, सायरमल, भीमसिंह, धर्मवीर पि0 गंगूराम, नाथी देवी पत्नि गंगूराम भंवरीदेवी कमली देवी, धोली देवी, मनभरीदेवी पुत्रियान गंगूराम जाति गुर्जर के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 0.55 है0, 274 रकबा 0.08 है0 , 280रकबा 0.31 है0, 283 रकबा 0.48 है0 284 रकबा 0.20 है0, 287 रकबा 0.15 है0, 288 रकबा 0.19 है0, 293 रकबा 0.13 है0, 294 रकबा 0.17 है0, 301 रकबा 0'.32 है0, 306 रकबा 0.31 है0, व 307 रकबा 0.11 है0 कुल किता 12 रकबा 3.00 है0 भूमि रहेगी ।

2. भंवरलाल गोपालराम लक्ष्मणराम जगदीशप्रसाद, प्रहलादसहाय पुत्रान जीताराम, श्रवणी देवी, प्रेमदेवी विमला देवी, आंचीदेवी, मानकी पुत्रियान जीताराम, नारायणी पत्नि जीताराम जाति गुर्जर के हिस्से में ख0नं0 272 रकबा 0.17 है0, 275 रकबा 0.30 है0, 278 रकबा 0.16 है0, 289 रकबा 0.18 है0, 290 रकबा 0.16 है0, 292 रकबा 0.18 है0, 296 रकबा 0.54है0, 297 रकबा 0.30है0, 302 रकबा 0.22है0, 303 रकबा 0.08है, 304 रकबा 0.34है0, 308 रकबा 0.12 है0, कुल किता रकबा 2.75 है0 भूमि रहेगी ।

3. रूडा पुत्र हरदेव जाति गुर्जर सा0 देह के हिस्से में आराजी ख0नं0 270 रकबा 0.48 है0, 273 रकबा 0.09है0, 277 रकबा 0.22है0, 279 रकबा 0.39 है0, 281 रकबा 0.30 है0, 282 रकबा 0.45 है0, 285 रकबा 0.12 है0, 286 रकबा 0.27 है0, 291 रकबा 0.21 है0, 295 रकबा 0.16 है0, 305 रकबा 0.40 है0 309 रकबा 0.13 है0 कुल किता 12 रकबा 3.22 है0 भूमि रहेगी ।

4. गिरधारी ,मूलचन्द, उमराव, सायरमल, भीमसिंह, धर्मवीर पि0 गंगूराम, नाथी देवी पत्नि गंगूराम भंवरीदेवी कमली देवी, धोली देवी, मनभरीदेवी पुत्रियान गंगूराम हि0 जाति गुर्जर 1/3, भंवरलाल गोपालराम लक्ष्मणराम जगदीशप्रसाद, प्रहलादसहाय पुत्रान जीताराम, श्रवणी देवी, प्रेमदेवी विमला देवी, आंचीदेवी, मानकी पुत्रियान जीताराम, नारायणी पत्नि जीताराम जाति गुर्जर हिस्सा 1/3 रहिन एसबीआई बैंक शाखा शाहपुरा हिस्सा 1/3, रूडाराम पुत्र हरदेव रहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा हि0 1/3 मुर्तहीन जाति गुर्जर सा0 देह के हिस्से में ख0नं0 204 रकबा 7.91 है0, 276 रकबा 0.01है0, 298 रकबा 0.03है0, 299 रकबा 0.02है0, 300 रकबा 0.15 है0, 310 रकबा 0.01है0, 311 रकबा 0.75है0 कुल किता 7 रकबा 8.88 है0 भूमि रहेगी । रिपोर्ट बंटवारा व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे।

आज तारीख 10.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड		जोड	